भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3235

उत्तर देने की तारीख : 20.03.2025

एमएसएमई को सहायता

3235. श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री यदुवीर वाडियार:
श्री जुगल किशोर:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि किस प्रकार से छोटे व्यवसायों और उनके विस्तार की क्षमता को प्रभावित करती है;

(ख) एमएसएमई संशोधित वर्गीकरण सीमाओं के अंतर्गत प्रदान की गई अतिरिक्त कार्यशील पूंजी का पूरी तरह से उपयोग कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस बजट चक्र से अलग विशेषकर वैश्विक आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई क्षेत्र में विकास को बनाए रखने के लिए मंत्रालय का दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्या है; और

(घ) एमएसएसमई आने वाले वर्षों में पूंजी तक पहुंच को और आसान बनाने और व्यापार विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से अतिरिक्त नीतिगत उपायों की उम्मीद कर सकते हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार और संयंत्र, मशीनरी या उपकरणों में निवेश में वृद्धि के माध्यम से परिचालन का विस्तार करने हेतु मौजूदा व्यवसायों को सक्षम करके पैमाने की अधिक दक्षता हासिल करने में मदद मिलेगी, जबकि एमएसएमई वर्गीकरण के भीतर बने रहेंगे और मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के लाभ बरकरार रहेंगे।

(ख) : बजट घोषणा 2025 में, एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन की घोषणा की गई है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा और अधिक एमएसएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण सहित विभिन्न पहलों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा, बजट 2025 में, उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की शुरुआत और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने जैसे उपायों की घोषणा की गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलेगा।

(ग) और (घ) : एमएसएमई क्षेत्र में विकास को बनाए रखने और व्यापार विस्तार और पूंजी तक पहुंच को आसान बनाने सहित समर्थन प्रदान करने के लिए, कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अन्य के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, आत्म-निर्भर भारत, स्टार्टअप के लिए निधियों की निधि, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम, खरीद और विपणन सहायता योजना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, टूल रूम, प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब, एमएसएमई चैंपियंस, एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 आदि जैसी योजनाएं और कार्यक्रम शामिल हैं।

बजट 2025 में, एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए घोषित कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवरेज राशि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है।
(ii) अच्छा कार्य प्रचालन करने वाले निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी।
(iii) विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के नए योगदान के साथ एक नई निधियों की निधि।
(iv) अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए एक नई योजना।

*****